न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 86/2024 G.C.M.S. No. 2024/392 दर्ज दिनांक : 30.09.2024

अपीलार्थिगणः

1. हडुमानाराम उर्फ हनुमानाराम पुत्र तुलसाराम
2. कासुराम पुत्र तुलसाराम जातियान जाट, निवासी गण जाणियों की ढाणी, तहसील बागोड़ा जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. ठाकराराम पुत्र तुलसाराम जाति जाट, निवासी जाणियों की ढाणी, तहसील बागोड़ा जिला जालोर
2. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, कृषि विकास शाखा, शाखा भीनमाल
3. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा पुनासा, तहसील भीनमाल, जिला जालोर
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बागोड़ा, तहसील बागोड़ा जिला जालोर
5. श्रीमती कछु देवी पत्नी ठाकराराम
6. श्रीमती राजोदेवी पत्नी हीरकनराम जातियान जाट, निवासीगण जाणियों की ढाणी बागोड़ा, तहसील बागोड़ा जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 09/2016 बअनवान ठाकराराम बनाम हनुमानाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.03.2021 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः–

1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 09/2016 बअनवान ठाकराराम बनाम हनुमानाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.03.2021 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

प्रकरण के तथ्य सक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद विभाजन खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 व 04 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जाणिया की ढाणी में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

काश्त की आराजी खसरा संख्या 1283/1178 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म भूमि जाव प्रथम चाही, खसरा नम्बर 733 रकबा 3.94 हैक्टर किस्म भूमि चाही खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.51 हैक्टर किस्म बारानी दोयम खसरा नम्बर 1185 रकबा 1.20 हैक्टर किस्म भूमि जाव दोयम चाही दोयम खसरा नम्बर 1188 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म भूमि गैर मुमकिन ढाणी खसरा नम्ब्र 1189 रकबा 3.23 हैक्टर किस्म भूमि जाव दोयम चाही दोयम की आयी हुई है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का सयुक्त कब्जा है। राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि व हिस्सा बराबर आया हुआ है। अपीलांट बंटवारा नहीं करवा रहे है। उसके लिये 1/3 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाकर दिलवाया जावे। जिस पर प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को तथा प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। दिनांक 19.01.2021 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश जारी किया गया तत्पश्चात् दिनांक 02.03.2021 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई। दिनांक 08.01.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 को रजिस्टर्ड डाक के जरिये सम्मन भेजने हेतू आदेशित किया गया। दिनांक 17.01.2020 तक कोई समन रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने की रसीद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की। उसी के आधार पर अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। उसके पश्चात , पत्रावली सीधी बहस में रखकर दिनांक 02.03.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि माफिक कानून वाद साबित करने का भार वादी पक्ष का होता है एवं कोई भी दस्तावेज का साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साक्ष्य में ग्राहय नहीं कर दिया जाता जब तक साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं किया जाता है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पारित की है। खसरा संख्या 1283/1178 की भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा सामलात में खरीद की हुई है जिसमें रेस्पोडेन्ट का मात्र 1/3 हिस्सा ही बनता है परन्तु रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा गलत तरीके से दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री अपास्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वाद खारिज किया जावे, विकल्प में निवेदन है कि प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2021 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा दिनांक 25.09.2024 को बताया गया कि खसरा संख्या 733, 1185, 1189, 1189, 1283/1178 में उसका 1/2 हिस्सा है न्यायालय से फैसला करवा दिया है। जिस पर अपीलांट ने पटवारी हल्का से पुछताछ की तो फैसले की जानकारी प्राप्त हुई एवं रेकर्ड में तरमीम होना बताया। अपीलाधीन प्रारम्भिक डिक्री का ज्ञान होने से उसकी नकल मिलने पर अपील अन्दर म्याद पेश है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है। अतः निर्णय दिनांक से इसकी जानकारी अपीलांट प्रतिवादीगण को होने की धारणा नहीं की जा सकती तथा हमारे विनम्र मत में प्रकरण बतौर तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविभाजित सहखातेदारी आराजी के विभाजन हेतु वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादीगण की साक्ष्य लिए बिना एवं पत्रावली को साक्ष्य हेतु नियत किए बिना सीधे ही अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गयी।
5. वादपत्रों के निर्णयन के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना आज्ञापक है यदि प्रकरण में सभी पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा न्यायालय द्वारा ऐसा राजीनामा तस्दीक किया जाकर विधिसम्मत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति मे वादपत्र राजीनामे के आधार पर निर्णित व डिक्री किया जा सकता है। राजीनामे के अभाव में या प्रतिवादीगण में से कुछ पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर देने या कुछ प्रतिवादीगण या सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने की दशा में ऐसे अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना होता है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादीग की साक्ष्य लिए बिना प्राथमिक डिक्री पारित की गयी जो कि बिना साक्ष्य के पारित निर्णय व डिक्री की श्रेणी में आता है जो पुष्टि योग्य नहीं है।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 09/2016 बअनवान ठाकराराम बनाम हनुमानाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.03.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने व उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.05.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर बागोड़ा में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली